तारांकित-02

(क) इस संबंध में अवगत कराना है कि मदिरा की दुकानों की संख्या एवं स्थिति को विनियमित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 बनायी गयी है जिसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाते हैं। मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों की स्थिति उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होता है। अद्यतन संशोधित उक्त नियमावली के नियम-5 के अंतर्गत दुकानों/उप दुकानों के लिये स्थिति तथा स्थल (साइट) अवधारित करने हेतु कतिपय सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिनमें से प्रकरण से संबंधित सुसंगत सिद्धांत निम्नवत् हैंः-

1. समस्त दुकानों और उप दुकानों के स्थलों का चयन पुलिस नियंत्रण, विशेषकर नगरों, कस्बों और बड़े गावों की दशा में, तथा यातायात नियंत्रण की आवश्यकताओं केा ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।
2. किसी सार्वजनिक पूजा स्थल अथवा विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासिक कालोनी के नगर निगम में होने के मामले में 50 मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में होने के मामले में 75 मीटर की दूरी के भीतर व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होने के मामले में 100 मीटर की दूरी के भीतर दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। परन्तु यदि कोई सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय, आवासिक कालोनी, दुकान या उप दुकान की स्थापना के उपरांत आस्तित्व में आती है तो इस नियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। परन्तु यह और कि विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ''वाणिज्यिक'' या ''औद्योगिक'' के रूप में अभिहित क्षेत्रों में दूरी का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
3. प्रभावित व्यक्तियों द्वारा किसी दुकान या उप दुकान का लाइसेंस देने के निमित्त की गई समस्त आपत्तियों पर पूरा विचार किया जायेगा।
4. कोई भी दुकान या उप दुकान किसी गांव, कस्बा या नगर की आबादी के स्थल के बाहर नहीं रखी जायेगी।

(ख) उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्रों में मदिरा की दुकानों को लाइसेंस दिये जाने अथवा उनका संचालन किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह अवश्य है कि प्रभावित व्यक्तियों द्वारा किसी दुकान या उप दुकान का लाइसेंस देने के निमित्त की गई समस्त आपत्तियों पर पूरा विचार किये जाने के प्राविधान हैं। उक्त नियमावली में किसी दुकान की अवस्थिति में किसी परिवर्तन की अनुज्ञा मण्डलायुक्त अथवा आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन से दिये जाने के प्राविधान हैं। दुकान के स्थल के परिवर्तन का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी (कलेक्टर) को प्रदत्त है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन संपन्न हो चुका है तथा आबकारी दुकानें दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से अपनी निर्दिष्ट अवस्थिति में संचालित हो रही है।

जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग